श्री कलराज मिश्र

माननीय राज्यपाल,
राजस्थान का उद्‌बोधन

हिन्दी दिवस एवं शिक्षक सम्मान समारोह

दिनांक 14 सितम्बर,, 2020 **समय : दोपहर 12. 30 बजे**

स्थान : राजभवन, जयपुर

प्रो. राजाराम शुक्ल, कुलपति सम्मूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, प्रो. निर्मला एस मौर्य, कुलपति वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जोनपुर, प्रो. हितेन्द्र कुमार मिश्र, आज सम्मानित हुये शिक्षकवृंद, छात्र–छात्राओं, भाइयो और बहिनो।

किसी भी राष्ट्र की संस्कृति धर्म, दर्शन और गौरवशाली परंपराओं को समझने के लिए उसकी अपनी भाषा ही सशक्त माध्यम हो सकती है। भारतीय सन्दर्भ में देखें तो देववाणी संस्कृत ,प्राकृत, पाली और हमारी अपनी अन्य भारतीय भाषाओं के बूते पर ही यह महान राष्ट्र दुनिया का सिरमौर बना तथा विश्व गुरु तक का दर्जा हासिल कर सका। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है जिस पर हमें स्वाभाविक रूप से गर्व की अनुभूति होनी चाहिए।

विविधता में एकता के दर्शन कराने वाली हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी अनमोल धरोहर है, जिसका संरक्षण एवं संवर्द्धन हर जागृत मनीषा का धर्म है।

देश की आजादी के बाद संविधान सभा के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि भारत की राजभाषा किस भाषा को बनाया जाए। बहुत विचार–विमर्श के बाद 14 सितंबर , 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। प्रतिवर्ष इसी के उपलक्ष में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम सभी मनाते हैं। आप सभी को हिन्दी दिवस की बहुत–बहुत बधाई।

स्वतंत्रता के बाद अन्य भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी को राजभाषा का गौरव प्रदान किया गया। इसके अनेक कारण हैं। हिंदी समझने बोलने के लिहाज से अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में सरल और सहज है। इसमें इतना अधिक लचीलापन है कि हर प्रांत देश की भाषा का बड़े स्वाभाविक ढंग से इसमें समायोजन हो जाता है।

फादर कामिल बुल्के ने कहा था कि हिंदी न केवल देश के करोड़ों लोगों की सांस्कृतिक और संपर्क भाषा है वरन बोलने और समझने की दृष्टि से दुनिया की तीसरी भाषा है। भारत के सभी धर्मों और विभिन्न भाषा भाषियों ने हिंदी के विकास में योगदान दिया है। वह किसी विशिष्ट वर्ग, प्रदेश या समुदाय की भाषा ना होकर भारतीय जनता की भाषा है।

हमारे संविधान निर्माताओं ने संघ की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि वाली हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्थान दिया। यह कार्य दुरूह था। समस्यायें आईं। वैश्विक स्तर पर अंकों के रूप में भारतीय अंकों को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मानना पड़ा। शासकीय प्रयोजनों में कतिपय कठिनाइयों के कारण पंद्रह वर्षों तक के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रचलन को भी मानना पड़ा। कठिनाइयों के निराकरण के लिए संविधान क्रियान्वयन के पाँच वर्ष के बाद आयोग का गठन किया गया।

27 अप्रैल 1960 को महामहिम राष्ट्रपति के एक आदेश से वैज्ञानिक, प्रशासनिक एवं कानूनी साहित्य संबंधी हिन्दी शब्दावली तैयार करने का कार्य आरम्भ हुआ।

औद्योगिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक उन्नति तथा लोक सेवाओं के संबंध में अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोगों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ज्ञान और ध्यान आवश्यक होने से यह आवश्यक हुआ कि उनमें भी हिन्दी का प्रयोग बढ़े। संविधान के अनुच्छेद 346 में उपबंध है, जहाँ हिन्दी का विकास और प्रसार शासन, प्रशासन और हम सबका कर्तव्य है तथा यदि हम संविधान के अनुच्छेद 343, 344 और 351 का समरस पठन करें तो हमें अपने अंतिम लक्ष्य को समझने में मदद मिलेगी।

देश के राष्ट्रीय विचार, संस्कृति को नेतृत्व देने वाले प्रधानमंत्रियों ने लोकसभा में तथा विश्वमंचों पर भी हिन्दी का मान बढ़ाया है। हिन्दी संवर्द्धन का यथेष्ट रूप से राष्ट्र में स्थान है तथा आशा है कि यह स्थान सदैव अग्रतर रहेगा।

तमाम विशेषताओं के बाद भी किन्हीं कारणों से देश में हिंदी पूरी तरह प्रतिष्ठित नहीं हो सकी। हिंदी की अस्मिता, स्वीकृति और व्यावहारिक प्रतिष्ठा के लिए समय–समय पर व्यक्त की जाने वाली चिंता सचमुच हमारी चिंता का विषय है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी रेखंकित किया गया है और सभी भारतीय भाषाओं के विकास पर बल दिया गया है।

हिंदी सहज रूप से प्राण वायु की तरह भारत के जन–जीवन में प्रवाहित है। हिंदी के प्रयोग में कोई तकनीकी कठिनाई नहीं आती है। यह व्याकरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण भाषा है। हिंदी भाषा भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, विज्ञान को मुखरित करती है।

समय की मांग है कि हमें हिंदी की पूर्ण रूप से सुरक्षा और संरक्षण की बात सोचनी होगी, क्योंकि संस्कृत के बाद हिंदी पूर्णरूपेण वैज्ञानिक व देश में सर्वाधिक व्यावहारिक भाषा है।

अतः हिंदी को राष्ट्रभाषा एवं राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया जाना समीचीन होगा क्योंकि हिंदी इस विशाल और महान राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान कर सकती है।

मैं आज सम्मानित होने वाले सभी अध्यापकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

धन्यवाद। जय हिन्द।